न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 09 / 2019 दायर दिनांक 06.09.2019

उनवान

1. श्रीलाल पिता चुन्नीलाल जाति जाट निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 27.05.2020

—ःसंशोधित निर्णयः—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा उसरोल पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के साबिक खाता संख्या 206 के आराजी संख्या 151, 205, 256 व खाता संख्या 237 के आराजी संख्या 50 तथा आराजी संख्या 858/4 तीनों खाते में सम्वत 2033 से 2036 की जमा बन्दी में श्रीलाल, शंकर, पन्ना पिता चुन्नीलाल जाट के नाम दर्ज रेकार्ड थी व इन्तकाल नम्बर 217 पुराना में चुन्नीलाल पिता चतरभुज जाट के नाम से प्रार्थी श्रीलाल शंकर, पन्नालाल के नाम से खुला।

जमाबन्दी में सहवहन से श्रीलाल, शंकर, पन्ना पिता चुन्नीलाल जाट के बजाय लालशंकर, पन्ना पिता चुन्नीलाल जाट दर्ज हो गया है। जो गलत है । प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/2 एवं लालशंकर पुत्र चुन्नीलाल 1/2 हिस्सा के बजाय श्रीलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/3, शंकरलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/3, पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/3 अंकित कर राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती हेतु निवदेन किया।

हमने पत्रावली अवलोकन कर दर्ज रजिस्ट्रर किया। प्रार्थी ने सिबुत वास्ते साबिक जमाबन्दी, चालु जमाबन्दी, आधार वर्ष की जमाबन्दी की नकल सलंग्न की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली अवलोकन किया प्रार्थी की और से स्वयं प्रार्थी, पन्ना लाल व शंकरलाल के शपथ पत्र रेकार्ड पर लिये जाते है उक्त शपथ पत्र में खातेदारों ने नाम व हिस्सा परिवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि मौजा उसरोल पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 299 की आराजी संख्या 1033,1038,1042,235 कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 है0 में दर्ज पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/2 एवं लालशंकर पुत्र चुन्नीलाल 1/2 हिस्सा के बजाय श्रीलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/3, शंकरलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/3, पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/3 अंकित किया जावें, खाता संख्या 401 आराजी संख्या 1375 रकबा 0.73 है0 में दर्ज पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/2 एवं लालशंकर पुत्र चुन्नीलाल 1/2 हिस्सा के बजाय श्रीलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/3, शंकरलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/3, पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/3 अंकित किया जावें, और खाता संख्या 168 आराजी संख्या 1043,1056,233 कुल किता 3 कुल रकबा 0.17 है0 में दर्ज पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/8 एवं लालशंकर पुत्र चुन्नीलाल 1/8 हिस्सा के बजाय श्रीलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/12, शंकरलाल पिता चुन्नीलाल जाट 1/12, पन्नालाल पिता चुन्नीलाल 1/12 अंकित किया जावें, व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2020.07.29 12:37:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: